(2)

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या—108 / 2014—15

रीना कुमारी वगैरह बनाम राज कुमारी देवी वगैरह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
12/5/18	**आदेश** आवेदिका श्रीमती रीना कुमारी एवं अन्य के द्वारा यह वाद श्रीमती राजकुमारी देवी की सम्पतचक अंचल अंतर्गत मौजा खेमनीचक, थाना नं0 112, खाता नं0 76, खेसरा नं0 9 में कायम जमाबंदी सं0 1516 को रद्द करने हेतु दायर किया गया है। इस वाद के पक्षकार इस प्रकार है। प्रथम पक्ष (1) श्रीमती रीना कुमारी, पति सुभाष कुमार, ग्राम—मुज्जफरपुर, नूर सराय, थाना—नूर सराय, जिला—नालन्दा (2) श्री अमित कुमार, पिता स्व0 गाँधी पाण्डेय, ग्राम—सिखनीला उचमा, जिला—गोपालगंज द्वितीय पक्ष (1) श्रीमती राज कुमारी देवी, पति यमुना प्रसाद, ग्राम—नारायणपुर, थाना—तेलहाड़ा, जिला—नालन्दा (2) श्रीमती किसमतिया देवी, पति बाबु लाल, ग्राम—तोप, थाना—शाहजहापुर, जिला—पटना। इस न्यायालय में वाद के पंजीकृत किये जाने के पश्चात विपक्षीगण को सामान्य नोटिस दी गयी, जो बिना तामिला के वापस हो गयी। दिनांक 17.09.2016 को विपक्षीगण को निबंधित डाक से नोटिस देने का आदेश दिया गया, परन्तु आवेदकगण के द्वारा तलवाना जमा नहीं किये जाने के कारण निबंधित नोटिस निर्गत नहीं की जा सकी। आवेदकगण के द्वारा दिनांक 29.10.2016 से इस वाद में कोई पैरवी नहीं की जा रही है। सुनवाई के लिए निर्धारित कुल 13(तेरह) तिथियों को आवेदकगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिससे स्पष्ट है कि आवेदकगण को इस वाद के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है। आवेदकगण आज भी अनुपस्थित है। आवेदन का अवलोकन किया। आवेदन की कंडिका—9 में कहा गया है कि किसमतिया देवी (विपक्षी सं0 2) की मृत्यु हो चुकी है। आवेदकगण के द्वारा किसमतिया देवी के वैध उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बना कर मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाया गया है। इस स्थिति में यह वाद चलने लायक नहीं है।	

	आवेदन एवं उसके साथ संलग्न दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{972}{4}$ वर्ष 2014–15 के आदेश फलक एवं राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित प्रति के अवलोकन से पता चलता है कि किसमतिया देवी के द्वारा वर्ष 2007 में आवेदकगण को प्रश्नगत भूखण्ड की बिक्री की गयी। पुनः किसमतिया देवी के द्वारा राजकुमारी देवी (विपक्षी सं0 1) को प्रश्नगत भूखण्ड की बिक्री कर दी गयी, जिसके आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0 2968 / 4 वर्ष 2009–10 के द्वारा राजकुमारी देवी (विपक्षी सं0 1) के नाम से दाखिल खारिज होकर जमाबंदी सं0 1516 कायम है। राजकुमारी देवी (विपक्षी सं0 1) के नाम से निबंधित केवाला के आधार पर विधिवत दाखिल खारिज होकर जमाबंदी सं0 1516 कायम की गयी है, जिसे अवैध नहीं कहा जा सकता है। आवेदिका विपक्षी सं0 1 राजकुमारी देवी के पक्ष में निष्पादित वसीका को निरस्त करने हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकती है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** ह0 21/5/18 (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना ह0 21/5/18 (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना	